राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री पंकज बड़गुर्जर (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या	तारीख रजू :	निर्णय दिनांक
527 / 2022	27.12.2022	13.03.2024

उनवान:

1. सहीराम आर्य उम्र 60 वर्ष पुत्रश्री दुलीचन्द जाति अहीर निवासी ग्राम अकलीमपुर तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

......वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

.......प्रतिवादी

दावा बाबत नाम दुरूस्ती इन्द्राजात धारा 88,89 आर0टी0ए0

उपस्थिति :– श्री प्रमोद कुमार यादव योग्य अधिवक्ता वादी की ओर से

।। निर्णय ।।

वादी द्वारा पेश वाद पत्र के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि खसरा नम्बर 230 रकबा 0.17 है0, 231 रबा 0.40 है0 वाके ग्राम अकलीमपुर तह. नीमराना मे स्थित है जिसमे से मिन वादी द्वारा 1/4 हिस्सा जरि रजि. बयनामा दिनांक 29त्र.07.2000 को खीद किया गया था जिस बयनामा के आाार पर मिन वादी के नाम से इंतकाल सं 85 वाके ग्राम अकलीमपुर दिनांक 01.11.2000 को स्वीकृत हो गया था और उसके आधार पर संवत 2066 की जमाबन्दी मे वादी के नाम से 1/4 हिस्से की खातेदारी का नोट लगा दिया गया था तथा संवत 2067 से 2070 की जमाबन्दी तैयार की गई तब पटवारी हल्का द्वारा गलती व लापरवाही से मिन वादी के नाम से दर्ज खातेदारी हिस्सा–1/4 के स्थान पर मिन वादी के नाम हिस्सा–1/16 दर्ज कर दिया ताि शेष हिस्सा को लूप्त कर दिया तथा उक्त गलत इन्द्राजात को संवत 2071 से 2074 की जमाबन्दी मे भी रिपीट कर दिया गया और अब संवत 2075 से 2078 मे सैग्रिगेशन जमाबन्दी तैयार की गई उसमे भी मिन वादी के नाम से पुर्व जमाबन्दी मे दर्ज गलत खातेदारी के आधार पर 1/16 हिस्सा दर्ज कर दिया और 7/24 हिस्से को नही हिस्सा–7/24 दर्ज कर दिया गया। जिसमे 3/16 हिस्सा मिन वादी का शामिल कर दिया गया। जो मिन वादी के हक हकूको के खिलाफ बातिल व बेअसर है। उक्त गलत इन्द्राजात की जानकारी उस समय हुई जब मिन वादी ने अपने हिस्से पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए जमाबन्दी की नकल ली तब उसमे मिन वादी के नाम से हिस्सा–1/16 दर्ज मिला तो मिन वादी ने पुर्व की जमाबन्दी की नकले लेकर देखी तब जानकारी हुई कि यह गलती संवत 2067 से 2070 की जमाबन्दी तैयार करते समय पटवारी हल्का द्वारा की गई है। जिस गलती को शुद्ध करवाने के लिए तहसीलदार साहब से दिनांक 12.12.2022 को मिला तो तहसीलदार साहब ने राजस्व न्यायालय मे दावा दायर करके दुरूस्ती करवाने के लिए कहा इसलिए मिन वादी ने यह दावा पेश किया गया है। मिन वादी आराजी मुतनाजा के 1/4 हिस्से का खरीददार मालिक काविज हूँ। इसलिए राजस्व रिकार्ड मे नही हिस्सा–7/24 मे से 3/16 हिस्सा कम किया जाकर उसमे मिन वादी के हिस्से मे शामिल कर मिन वादी को हिस्सा–1/4 का खातेदार दर्ज किया जाने डिक्री फरमाई जाना न्याय संगत है।

वाद वादी को दर्ज किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया । बाद तामिल प्रतिवादी उपस्थित आया लेकिन बार–बार जबाब दावा पेश करने का अवसर

दिये जाने पर भी जबाव पेश नही करने पर दिनांक 27.07.2023 को प्रतिवादी का जबाव बन्द किया गया जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई ।

वादी ने अपने दावा के समर्थन मे मौखिक साक्ष्य के रूप मे पी.ड.–1 स्वंय वादी सहीराम आये का तथा पी.ड.2 रविन्द्र पुत्र ताराचन्द का तथा पी.ड.–सुखवीर पुत्र होशियारसिंह बयान शपथ पत्र पेश किये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे प्रदर्श–1 से प्रदर्श–7 तक पेश किये गये तथा प्रतिवादी द्वारा अपने पक्ष मे कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किये गये । पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

हमने वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा अपने दावा के तथ्यो को रिपीट करते हुऐ । वादी का वादी पत्रावली पर पेश मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से पूर्ण रूप से साबित होना बताते हुऐ वादी का वाद डिक्री किया जाने की अपील की गई ।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यो का ध्यान पुर्वक अवलोकन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2063 से 2066 प्रदर्श–4 का अवलोकन किया गया जिसमे वादी 1/4 हिस्से का खातेदार दर्ज रिकार्ड है। लेकिन जमाबन्दी संवत 2067 से 2070 मे वादी के नाम से 1/16 हिस्सा की खातेदारी दर्ज की हुई है तथा जमाबन्दी मे कुल हिस्सा भी दर्ज नही किया हुआ है। कुछ हिस्सा लूप्त किया हुआ है। जो खातेदारी संवत 2067 से 2070 मे दर्ज की गई है वह राजस्व रिकार्ड मे रिपीट होती रही है। जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 मे 7/24 हिस्सा को नही मालूम दर्ज किया हुआ है। जिस कारण से खातेदारो के खातेदारी हिस्से गलत दर्ज किये जाना साबित होता है। इसलिए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यो के आधार पर वादी का वाद साबित पाया जाने पर डिक्री होने योग्य है।

आदेश

अतः वाद वादी इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि खसरा नम्बर हाल 230 रकबा 0.17 है0, 231 रबा 0.40 है0 वाके ग्राम अकलीमपुर तह. नीमराना की हाल जमाबन्दी मे दर्ज " नही हिस्सा–4/24" मे से 3/16 हिस्सा कम किया जाकर उसका खातेदार वादी को घोषित किया जाता है तथा उक्त खसरा नम्बरान के हाल राजस्व रिकार्ड मे वादी के नाम से दर्ज हिस्सा–1/16 के स्थान पर हिस्सा–1/4 दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.03.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

13-03-2024

पंकज बडगूजर
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी नीमराना
(कोटपूतली–बहरोड) राज0

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

26/06/2024 आज प्रार्थना-पत्र धारा 152 जा.दी. पेश होकर बाद विधिवत सुनवाई स्वीकार होने पर उक्त डिक्री के आदेश पैरा में "नही हिस्सा-4/24" के स्थान पर "नही हिस्सा-7/24" पढा जावे। शेष निर्णय पूर्ववत् यथावत रहेगा।

26.06.2024

उपखण्ड अधिकारी
(कोटपूतली-बहरोड़)

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री पंकज बड़गुर्जर (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 527 / 2022

तारीख रजू : 27.12.2022

निर्णय दिनांक 13.03.2024

उनवानः

1. सहीराम आर्य उम्र 60 वर्ष पुत्रश्री दुलीचन्द जाति अहीर निवासी ग्राम अकलीमपुर तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

......वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

.......प्रतिवादी

दावा बाबत नाम दुरूस्ती इन्द्राजात धारा 88,89 आर0टी0ए0

उपस्थिति :– श्री प्रमोद कुमार यादव योग्य अधिवक्ता वादी की ओर से

आदेश

अतः वाद वादी इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि खसरा नम्बर हाल 230 रकबा 0.17 है0, 231 रबा 0.40 है0 वाके ग्राम अकलीमपुर तह. नीमराना की हाल जमाबन्दी मे दर्ज " नही हिस्सा–4 / 24" मे से 3 / 16 हिस्सा कम किया जाकर उसका खातेदार वादी को घोषित किया जाता है तथा उक्त खसरा नम्बरान के हाल राजस्व रिकार्ड मे वादी के नाम से दर्ज हिस्सा–1 / 16 के स्थान पर हिस्सा–1 / 4 दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 13.03.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई ।

13-03-2024

पंकज बड़गूजर
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी नीमराना
(कोटपूतली–बहरोड) राज0

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

26/6/2024 आज प्रार्थना पत्र धारा 152 जा.दी. पेश होकर बाद विधिवत सुनवाई स्वीकार होने पर उक्त पर्चा डिक्री के आदेश पैरा में अंकित "नही हिस्सा–4/24" के स्थान पर "नही हिस्सा–7/24" पढ़ा जावे। शेष पर्चा डिक्री यथावत रहेगी।

26-6-2024

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)